

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

क्रमांक ०४/स्था-1/पट०/2012

ग्वालियर, दिनांक 6/2/2012

शुद्धि पत्र क्रमांक-1

पटवारी चयन परीक्षा वर्ष 2012 हेतु विस्तृत निर्देश इस कार्यालय द्वारा जारी किये गये है। उपरोक्त निर्देश के पृष्ठ क्रमांक - 3 की कंडिका-5 को निम्नानुसार पढ़ा जाये।

5. अर्हताएँ :-

पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा :-

5.1 जिसने मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर
आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

5.2 Computer Diploma from all university recognised by UGC

अथवा

Computer Diploma from all open university recognised by
UGC

अथवा

Computer Diploma level exam from DOEACC/IETE

अथवा

Higher degree in computer application

टीप :- 1-वि० वि०/DOEACC/IETE से परीक्षा उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब संबंधित
वि०वि०/ DOEACC /IETE से प्रमाण-पत्र/अंकसूची जारी की गयी हो।

2- यदि किसी पाठ्यक्रम के साथ एक विषय कम्प्यूटर पढ़ा गया हो तो उसे कम्प्यूटर
अर्हता हेतु मान्य नहीं जायेगा।

उपरोक्त संशोधन मूल निर्देशों में सम्मिलित कर दिये गये है।

आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्यप्रदेश

पटवारी चयन परीक्षा 2012

समय सारणी

| | | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | विज्ञापन प्रकाशन | 06 फरवरी 2012 |
| 2 | ऑनलाईन आवेदन किया जाना | 09 फरवरी से 25 फरवरी तक |
| 3 | प्रमाण-पत्रों का जिले में सत्यापन | 13 फरवरी से 29 फरवरी तक |
| 4 | प्रवेश पत्र प्रिन्ट करना | 5 मार्च से 12 मार्च तक |
| 5 | परीक्षा केन्द्र | इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर व रीवा |
| 6 | परीक्षा तिथि | परीक्षा 25 मार्च 2012 से प्रारंभ होकर लगभग 20 हजार अभ्यर्थियों के प्रतिदिन परीक्षा में सम्मिलित होने के हिसाब से समस्त पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षा सम्पन्न होने तक जारी रहेगी। |
| 7 | परीक्षा समय | प्रत्येक दिवस प्रातः 09.00 से 10.30 तक 12.00 से अपराह्न 1.30 तक एवं 03.00 बजे से 4.30 तक तीन सत्रों में। |
| 8 | परिणाम देखना | परीक्षा के 72 घंटे पश्चात्। |
| 9 | चयन सूची प्रकाशन | पृथक से सूचना प्रकाशित की जावेगी। |
| 10 | चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण। | पृथक से सूचना प्रकाशित की जावेगी। |

पटवारी चयन परीक्षा 2012 हेतु -: चयन संबंधी नियम/निर्देश :-

1. शासन के पत्र क्रमांक एफ नं० 12-01/2011/सात (4-बी) भोपाल दिनांक 5 दिसम्बर 2011 के अनुसार भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, राजस्व विभाग के अन्तर्गत पटवारी के रिक्त पदों की चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। पटवारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा 2012 हेतु निम्न निर्देश लागू होंगे।

2. सामान्य :

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त राजस्व विभाग के पटवारी के पद हेतु चयन परीक्षा 2012 में आवेदन कर रहे हैं।

3. परिभाषाएं :

3.1 "आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

3.2 "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3.3 "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3.4 "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5 पच्चीस 4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।

3.5 "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारंभ होने वाली 12 मास की कालावधि, जिसके भीतरी ऐसी रिक्त के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

3.6 "भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है" ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की ओर—

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी निर्मुक्त के लम्बित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या—

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अधिक अवधि के लिये करनी पड़ी हो,

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।

4. वेतनमान :-

पटवारी पद हेतु वेतनमान रूपये 5200-20200+2100 ग्रेड-पे है।

5. अर्हताएँ :-

पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा :-

5.1 जिसने मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

5.2 Computer Diploma from all university recognised by UGC
अथवा

Computer Diploma from all open university recognised by UGC

अथवा

Computer Diploma level exam from DOEACC/IETE

अथवा

Higher degree in computer application

टीप :- 1-वि० वि०/DOEACC/IETE से परीक्षा उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब संबंधित वि०वि०/ DOEACC /IETE से प्रमाण-पत्र/अंकसूची जारी की गयी हो।

2- यदि किसी पाठ्यक्रम के साथ एक विषय कम्प्यूटर पढ़ा गया हो तो उसे कम्प्यूटर अर्हता हेतु मान्य नहीं जायेगा।

6. आयु सीमा :-

6.1 आयु सीमा 18 वर्ष से कम न हो तथा 33 वर्ष से अधिक न हो।

6.2 आयु गणना किस तिथि/वर्ष से मान्य की जायेगी- परीक्षा आयोजित किये जाने के वर्ष की 01 जनवरी को 33 वर्ष से अधिक न हो।

6.3

| स. कं. | आवेदक | श्रेणी | आयु का विवरण |
|--------|-------|--|-------------------------------|
| 1 | पुरुष | सामान्य/अनारक्षित | 33 वर्ष |
| 2 | पुरुष | <u>आरक्षित</u> अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग | 38 वर्ष 38 वर्ष 38 वर्ष |
| 3 | महिला | <u>अनारक्षित</u> | 43 वर्ष |
| 4 | महिला | <u>आरक्षित</u> अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग | 48 वर्ष 48 वर्ष 48 वर्ष |
| 5 | महिला | <u>अनारक्षित वर्ग</u> विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/ अन्य पिछड़ा वर्ग | 48 वर्ष |
| 6 | महिला | <u>आरक्षित</u> अनुसूचित जाति/अनु० जन जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा | 53 वर्ष |

नोट- आयु की पुष्टि हेतु हायर सेकेण्ड्री/हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में अभिलिखित जन्मतिथि ही स्वीकार की जावेगी।

7. आयु सीमा में छूट :-

*****कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश "पटवारी चयन परीक्षा-2012"*****

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आयु सीमा में विशेष छूट के प्रावधान जैसे- निःशक्तजन, ग्रीन कार्ड धारक, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, विक्रम अवार्ड, राज्य शासन के निगम मण्डल के कर्मचारियों हेतु इत्यादि लागू होंगे।

8. आरक्षण :-

8.1 पटवारी का पद जिलास्तरीय पद है अतः जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

शासन द्वारा जिलेवार स्वीकृत 100 बिन्दु रोस्टर का पूर्णतः पालन करते हुए कुल जिले के वर्गवार रिक्त पदों में आरक्षण की संख्या सुनिश्चित करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी। अनुसूचित वर्ग के पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जावेगा।

8.2 महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण होगा। यदि किसी भी अनारक्षित/आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (carry forward) नहीं किये जायेंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार से भरे जावेंगे।

8.3 निःशक्तजनों के लिये श्रवण बाधित/अस्थि बाधित श्रेणी में कुल 6 प्रतिशत आरक्षण होगा। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 648/2009/सात/4 बी दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार दृष्टि बाधित अभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे।

मध्य प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक अध्याय-एक के नियम-1 की टिप्पणी (1) (4) की कण्डिका 5 (ग) के अनुसार विकलांग व्यक्ति पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये पात्र नहीं होंगे। यदि शारीरिक दुर्बलता के कारण काम करने योग्य न हो।

8.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत पदों का आरक्षण होगा।

आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :-

आरक्षण का लाभ आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही प्राप्त होगा।

*****कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश "पटवारी चयन परीक्षा-2012"*****

9. मूल निवासी :-

पटवारी चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिये आवश्यक होगा कि वे भारत के नागरिक हो तथा जिस जिले के रिक्त पदों के लिये आवेदन कर रहे हैं, उस जिले का मूल निवासी हो। सत्यापन के समय शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10 निरर्हताएँ :-

10.1 पररूपधारण – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

10.2 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार की न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे पटवारी के पद पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरुष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही जीवित पत्नी हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गयी हो, वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित सन्तान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् आगामी प्रसव में 2 या अधिक सन्तान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।

10.3 कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर।

10.4 परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शान्ति भंग करने का प्रयास।

10.5 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो।

यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

10.6 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।

10.7 स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने पर :- किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जावे तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

10.8 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो/सारभूत जानकारी छिपायी हो।

11. रिक्तियों :- जिलेवार अनुमानित रिक्तियों निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | पदनाम | जिले का नाम | (अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | (ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में महिलाओं के लिये आरक्षित पद | | | | कुल |
|---------|--------|-------------|-------------------------------------|-------|--------|-------|--|-------|--------|-------|-----|
| | | | अनारक्षित | अ0जा0 | अ0ज0ज0 | पि0व0 | अनारक्षित | अ0जा0 | अ0ज0ज0 | पि0व0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | पटवारी | श्यापुर | 27 | 6 | — | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| | | मुरैना | 53 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | 1 | 2 | 67 |
| | | मिण्ड | 28 | 11 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 51 |
| | | ग्वालियर | 68 | — | — | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| | | शिवपुरी | 62 | 13 | 3 | 9 | 19 | 4 | 1 | 3 | 87 |
| | | गुना | 29 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| | | अशोकनगर | 30 | — | 19 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | 52 |
| | | दतिया | 48 | 11 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 5 | 75 |
| | | उज्जैन | 26 | 11 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 45 |
| | | रतलाम | 12 | 7 | 29 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 52 |
| | | शाजापुर | 45 | 17 | 2 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 73 |
| | | देवास | 35 | 13 | 10 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 67 |
| | | मंदसौर | 25 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 38 |
| | | नीमच | 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| | | इन्दौर | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |

| क्रमांक | पदनाम | जिले का नाम | (अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | (ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में महिलाओं के लिये आरक्षित पद | | | | कुल |
|---------|--------|-------------|-------------------------------------|-------|--------|-------|--|-------|--------|-------|-----|
| | | | अनारक्षित | अ0जा0 | अ0ज0ज0 | पि0व0 | अनारक्षित | अ0जा0 | अ0ज0ज0 | पि0व0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | पटवारी | धार | 42 | 6 | 34 | 4 | 13 | 2 | 10 | 1 | 86 |
| | | झाबुआ | 1 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| | | खरगोन | 57 | 12 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 77 |
| | | बडवानी | 2 | 2 | 22 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 28 |
| | | खण्डवा | 45 | 3 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 66 |
| | | बुरहानपुर | 21 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 35 |
| | | अलीराजपुर | — | 1 | 33 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 |
| | | भोपाल | 12 | — | — | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| | | सीहोर | 37 | 7 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 52 |
| | | रायसेन | 22 | 19 | 17 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 67 |
| | | राजगढ़ | 43 | 10 | — | 17 | 13 | 3 | 0 | 5 | 70 |
| | | विदिशा | 55 | 19 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 | 4 | 90 |
| | | बैतूल | 43 | 14 | 27 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 90 |
| | | होशंगाबाद | 26 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| | | हरदा | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 |
| | | सागर | 54 | 29 | 3 | 3 | 16 | 9 | 1 | 1 | 89 |
| | | दमोह | 2 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 24 |
| | | पन्ना | 34 | 8 | 1 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 50 |
| | | छतरपुर | 70 | 21 | — | — | 21 | 6 | 0 | 0 | 91 |
| | | टीकमगढ़ | 35 | 18 | — | 4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 57 |
| | | जबलपुर | 17 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| | | कटनी | 17 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| | | नरसिंहपुर | 53 | 20 | — | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 78 |
| | | छिंदवाडा | 22 | 4 | 21 | 19 | 7 | 1 | 6 | 6 | 66 |
| | | सिवनी | 37 | 9 | 40 | 11 | 11 | 3 | 12 | 3 | 97 |
| | | मण्डला | 12 | 3 | 32 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 55 |
| | | बालाघाट | 55 | 13 | 11 | 15 | 16 | 4 | 3 | 4 | 94 |
| | | डिण्डोरी | 9 | 4 | 21 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 39 |

| क्रमांक | पदनाम | जिले का नाम | (अ) कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या | | | | (ब) (अ) में बताई गई रिक्तियों में महिलाओं के लिये आरक्षित पद | | | | कुल |
|---------|--------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| | | | अनारक्षित | अ0जा0 | अ0ज0ज0 | पि0व0 | अनारक्षित | अ0जा0 | अ0ज0ज0 | पि0व0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | पटवारी | रीवा | 50 | 12 | — | 15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 77 |
| | | सीधी | 32 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 46 |
| | | सतना | 71 | 29 | — | 22 | 21 | 9 | 0 | 7 | 122 |
| | | शहडोल | 31 | 1 | 10 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 45 |
| | | अनूपपुर | 16 | 3 | 19 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 39 |
| | | उमरिया | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
| | | सिंगरौली | 26 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 43 |
| | | | 1571 | 407 | 466 | 317 | 468 | 123 | 138 | 94 | 2761 |

टीप :- निःशक्त जन एवं विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार संबंधित जिलों द्वारा किया जायेगा।

12. ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और विधि :-

पटवारी चयन परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन 9 फरवरी से 25 फरवरी तक भरे जायेंगे।

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ ले। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउन लोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से दिनांक 25/02/2012 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

पोर्टल शुल्क :

3. प्रत्येक आवेदक को 600/- रूपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नम्बरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूरभाष क्रमांक **0755-4019407, 4013408, 4019409**

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को 600/- परीक्षा शुल्क एवं पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। आवेदक यदि MPonline के माध्यम से आवेदन करता है तो उसे MPonline के कियोस्क पर रूपये 600/- शुल्क व रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ लेकर जाना होगा।

आवेदन पत्र वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in> पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदन परीक्षा फार्म ऑनलाईन भरकर मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्को के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्को की सूची के लिये <https://www.mponline.gov.in> पर Authorized Kiosk List Link देखें।

इन्टरनेट कॅफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर **Citizen Services नागरिक सेवाएँ** क्लिक करें, इसके उपरान्त Application लिंक पर जाकर बटन को क्लिक करें। अब उसे यहाँ तीन आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to open Application form

Pay for unpaid Application

Click here to view advertisement

आवेदक इन्टरनेट कॅफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं ही अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले Click here to view advertisement को क्लिक कर दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ ले। इसके उपरान्त ही आवेदन Click here to open Application form को क्लिक करें। इसके उपरान्त आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच कराना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें Link) दिखाई देगा। hyper link को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिन्ट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपका कर उसके नीचे

हस्ताक्षर करें। इसके उपरान्त उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें। इसके उपरान्त जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ ले और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर ले। इसके उपरान्त ही submit बटन दबाये। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नम्बर प्राप्त होगा। इसके उपरान्त आवेदक पोर्टल शुल्क के भुगतान के लिए proceed to payment बटन दबाएगा तो उसे पोर्टल शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन दिखाई देंगे :-

1. क्रेडिट कार्ड।
2. इन्टरनेट बैंकिंग।
3. **क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :-** आवेदक किसी भी इन्टरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इन्टरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरान्त पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरान्त पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के लिये proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरान्त कन्फर्म बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को पोर्टल शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
4. **इन्टर बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इन्टरनेट या इन्टरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टैट बैंक ऑफ इन्दौर अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेटवर्किंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरान्त proceed to payment बटन

दबाएगा। यहाँ पर उसे इन्टरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउन्ट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिन्ट अवश्य लें।

5. एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :- आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक <https://www.mponline.gov.in> वेबसाईट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरान्त सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारीयों आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारीयों फार्म में सही भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साईज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों अच्छी तरह पढ़ ले। आवेदक सभी जानकारीयों सही-सही भरी होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को proceed to payment बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान करने को कहे। आवेदक कियोस्क संचालक को पोर्टल शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। साथ ही भरे गये आवेदन की प्रति भी उपलब्ध कराएगा।

5. आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले और तथा अपने पास संभालकर रखें।

6. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

7. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से pay for unpaid Application लिंक द्वारा पोर्टल शुल्क

का नगद भुगतान कर सकता है। पोर्टल शुल्क का प्रत्येक आवेदक को भुगतान करना अनिवार्य है।

8. आवेदक से निवेदन है कि ऑनलाइन आवेदन की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिये संभाल कर रखे।
9. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एमपीऑनलाइन को अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। पोर्टल शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नम्बरों पर संपर्क करें :-

MPONLINE के HELP DESK NO 0755-4019407, 4013408, 4019409 तथा Mail id PatwariHelpDesk @mponline.gov.in

13. दस्तावेजों का परीक्षण :-

आवेदक को आवेदन करने के पश्चात् अपने गृह जिले में 13 फरवरी से 29 फरवरी के मध्य आवेदन में दी गयी जानकारी के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण-पत्र तथा इन प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति जो राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित हो के साथ कलेक्टर द्वारा नामांकित जिला स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर परीक्षा पात्रता का निर्धारण होगा। समिति द्वारा जिस आवेदक को अर्ह माना जायेगा उसे ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी। समिति का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा। निर्णय सोच-समक्षकर एक बार लिया जायेगा तथा समिति उसे बिना पर्याप्त आधार के बदल नहीं सकेगी। दस्तावेजों के परीक्षण के समय आवेदक को समिति के समक्ष निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

- 1- हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची।
- 2- हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची।
- 3- कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा स्तर का प्रमाण पत्र/कम्प्यूटर में उच्च शिक्षा का प्रमाण-पत्र।
- 4- मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
- 5- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)।

****कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश "पटवारी चयन परीक्षा-2012"****

- 6— मेडीकल बोर्ड से जारी विकलांग (श्रवण बाधित/अस्थि बाधित) प्रमाण-पत्र।
- 7— मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी आवेदक के लिये प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूट हेतु प्रमाण-पत्र।
- 8— आयु सीमा में छूट प्राप्त करने हेतु प्रमाण-पत्र।
- 9— भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र।
- 10— अन्य।

उपरोक्त कोई भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर आवेदन अमान्य किया जायेगा।

14 चयन परीक्षा :-

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। परीक्षा हेतु 90 मिनट का समय निर्धारित है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type) के होंगे। जिसमें प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर/विकल्प होंगे। परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न करने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता होने पर पिछले प्रश्न पर वापस आ सकेगा।

- (1) प्रश्न पत्र हल करने की समय सीमा 90 मिनट की होगी।
- (2) आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केन्द्र व समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना आवश्यक है।
- (3) आवेदक द्वारा चुने गये तिथि व समय पर उपस्थित न होने पर आवेदक निरर्ह हो जाएगा। किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि व समय परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगा।
- (4) परीक्षार्थी 45 मिनट से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेगा।

15 पाठ्यक्रम :-

प्रश्नपत्र में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे।

- 1— सामान्य ज्ञान।
- 2— सामान्य गणित व सामान्य अभिरुचि।
- 3— सामान्य हिन्दी।
- 4— सामाजिक व्यवस्था।
- 5— ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज।
- 6— कम्प्यूटर दक्षता।

16 परीक्षा अभ्यास :-

आवेदकों को ऑनलाइन प्रश्न पत्र हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु 9 फरवरी 2012 से एम0 पी0 ऑन लाइन की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

17 परीक्षा केन्द्र :-

जिला स्तरीय समिति द्वारा अर्ह पाये गये आवेदकों की ऑनलाइन चयन परीक्षा प्रदेश के 8 शहरों इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर व रीवा में आयोजित की जायेगी।

परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में प्रत्येक दिवस प्रातः 9.00 बजे, 12.00 बजे व 3.00 बजे तीन सत्रों में आयोजित की जायेगी। परीक्षार्थी अपनी इच्छानुसार परीक्षा हेतु निर्धारित तिथियों में केन्द्र, परीक्षा तिथि एवं समय चुन सकेंगे। परीक्षा केन्द्र चयन प्रक्रिया प्रारंभ होने के प्रथम तीन दिन तक 12 बजे का स्लॉट महिलाओं व विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा।

आवेदक जिस तिथि व समय को स्लॉट बुक करता है उस तिथि को परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जायेगा। परीक्षा हेतु दूसरी तिथि व समय नहीं दिया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र में मोबाईल, कैल्कुलेटर आदि ले जाना वर्जित होगा। आवेदक सिर्फ अपने साथ पेन एवं पेंसिल ले जा सकेगा।

18 चयन प्रक्रिया :

अंतिम चयन सूची जिलेवार के आधार पर तैयार की जावेगी। चयन सूची बनाने में अभ्यर्थी द्वारा हायर सेकेण्ड्री (10+2) परीक्षा में प्राप्त अंकों को 50 प्रतिशत अधिभार तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को 50 प्रतिशत अधिभार दिया जायेगा। परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की स्थिति में उम्र के आधार पर प्रावीण्य एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी अर्थात् अधिक उम्र वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जायेगी। वरीयता सूची का प्रकाशन प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एम0 पी0 ऑनलाइन एवं आयुक्त भू-अभिलेख की वेबसाईट पर किया जायेगा।

19 प्रतीक्षा सूची :-

पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची 3 वर्ष तक वैध रहेगी।

20 प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली शर्तें :

प्रशिक्षण अवधि में वेतन/मानदेय देय नहीं होगा।

21 नियुक्ति की शर्तें :

प्रशिक्षण प्राप्त करने उपरान्त परीक्षा पास करने पर पद रिक्त होने पर नियुक्ति दी जायेगी एवं पटवारी नियुक्ति पश्चात् राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग-1, अध्याय-1 के प्रावधान लागू होंगे।

22 न्याय/क्षेत्राधिकार :-

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

23 हेल्प लाईन नम्बर

परीक्षा से संबंधित पूर्ण विवरण एवं नियम कार्यालय की वेबसाईट <http://www.landrecords.mp.gov.in> एवं mponline की वेबसाईट <https://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध है। परीक्षा निर्देशों से संबंधित कोई भी शंका होने पर आवेदक MPONLINE के HELP DESK NO 0755-4019407, 4013408, 4019409 तथा Mail id patwari help desk @mponline.gov.in पर तथा आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के हेल्प लाईन नम्बर 0751-2441289 पर कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकता है।